(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
चुतराराम पुत्र जसवंतराम जाति कुम्हार, निवासी मौखाबखुर्द तहसील शिव, जिला बाड़मेर		ओमप्रकाश पुत्र खुशालाराम जाति कुम्हार, निवासी मौखाबखुर्द तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (06)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212) मुकदमा नम्बर 80/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.03.2024	प्रार्थी अधिवक्ता श्री ईश्वरसिंह भाटी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। अंतरिम स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी के पैतृक खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा मौखाबखुर्द, तहसील शिव के खसरा नम्बर 59 रकबा 5.0447 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थी उक्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार है। प्रार्थी की उक्त विवादित आराजी के सेढासेढ विप्रार्थी संख्या 1 से 4 का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 416/59 आया हुआ है। वर्तमान में विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेतों में मध्य पुरानी माठों को तोड़कर प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं खातेदारी में पक्का निर्माण कार्य करने पर आमादा है तथा साथ ही प्रार्थी की खातेदारी भूमि से नवीन रास्ता निकालने हेतु प्रयासरत है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की खातेदारी एवं हक हिस्सा तथा कब्जा काश्त में अवैधरूप से प्रवेश कर नव निर्माण कार्य या रास्ता निकाला जाता है तो इससे प्रार्थी को अपनी पैतृक खातेदारी से महरूम रहना पडेगा तथा अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्वांत प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलदांजी/हस्तक्षेप नहीं करने एवं किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने तथा वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार होने तथा काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की खातेदारी में पुरानी माठों को तोड़कर नव निर्माण कार्य किया जाता है या दखलंदाजी की जाती है तो इससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा एवं मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आंशका रहेगी। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आरजी/आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा मौखाबखुर्द, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 59 रकबा 5.0447 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलदांजी नहीं करने तथा किसी प्रकार का नव निर्माण कार्य नहीं करने के आशय का अस्थाई अंतरिम स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी तक जारी किया जाता है। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के सम्मन [illegible] इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 5.4.24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	
5.4.24	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यो में व्यस्त होने के कारण इन्तजा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 29.7.24 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.02 14:12:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
29.7.24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते अप्रार्थीगण की तामील हेतु दिनांक 20.9.24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	
20.9.24	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 25.11.24 को पेश हो।	
25.11.24	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली अप्रार्थीगण की तामील हेतु दिनांक 16.01.25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	
16.01.25	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 19.03.25 को पेश हो।	
19/3/2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। पत्रावली अप्रार्थीगण की तामील हेतु दि. 27/3/2025 को पेश हो।	
27.3.25	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में [illegible] के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व [illegible] आईन्दा दिनांक 3.04.25 को पेश हो।	
3/04/2025	पत्रावली पेश। [illegible] मूल वाद खारीज हो चुका [illegible] पत्रावली पेशल स्वतः ही खारीज योग्य है। पत्रावली [illegible] सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.02 14:12:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner